उत्तर प्रदेश शासन

चिकित्सा अनुभाग-8

संख्या-134/3483 /पांच-8-2015-11(डी)/2015

लखनऊ: दिनांक 08 सितम्बर, 2015

कार्यालय-ज्ञाप

पदोन्नति में आरक्षण एवं परिणामी ज्येष्ठता के संबंध में मा0 उच्चतम न्यायालय में योजित सिविल अपील संख्या-2608/2012 यू0पी0 पावर कार्पोरेशन लिमिटेड बनाम राजेश कुमार व अन्य में पारित आदेश दिनांक 27.04.2012 का कार्यकारी अंश निम्नवत् है-

In the ultimate analysis, we conclude and hold that Section 3(7) of the 1994 Act and Rule 8A of the 2007 Rules are ultra vires as they run counter to the dictum in M. Nagaraj (supra). Any promotion that has been given on the dictum of Indra Sawhney (supra) and without the aid or assistance of Section 3(7) and Rule 8A shall remain undisturbed.

2- मा0 उच्चतम न्यायालय के उपर्युक्त आदेश दिनांक 27-04-2012 के अनुपालन के क्रम में कार्मिक विभाग द्वारा जारी शासनादेश संख्या-4/1/2002टीसी-का-2/2012, दिनांक 28-04-2012, संख्या-4/1/2002टीसी-1-का-2/2012, दिनांक 08-05-2012 एवं संख्या-4/1/2002 टीसी-1-का-2/2012, दिनांक 13-05-2012 के क्रम में जारी शासनादेश संख्या-8/4/1/2002 टीसी0-1-का-2/2015, दिनांक 21-08-2015 द्वारा पदोन्नति में आरक्षण् तथा परिणामी ज्येष्ठता का लाभ प्राप्त कर दिनांक 28-04-2012 के पूर्व एवं दिनांक 15-11-1997 के बाद पदोन्नत कार्मिकों के संबंध में निम्नानुसार कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया है-

(क) उ0प्र0 लोक सेवा (अनुसूचित जातियाँ अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछडे वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम 1999 की धारा-3(7) के प्रावधान के अनुसार पदोन्नति में आरक्षण का लाभ देते हुए दिनांक 15-11-1997 के पश्चात पदोन्नत कार्मिकों तथा उ0प्र0 सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली 1991(यथासंशोधित) के नियम-8(क) का लाभ देकर जिन कार्मिकों की पदोन्नति की गई है, उन्हें पदावनत कर दिया जाय। वर्तमान संशोधित वरिष्ठता सूची जो कार्मिक अनुभाग-2 के शासनादेश दिनांक 08-05-2012 एवं 13-05-2012 के क्रम में जारी की गई है, के अनुसार दिनांक 15-11-1997 के पश्चात पदोन्नति में आरक्षण तथा नियम-8(क) का लाभ प्राप्त कर पदोन्नत कार्मिकों से कनिष्ठ कार्मिक जिस स्तर पर कार्यरत हो, उस स्तर पर उन्हें पदावनत किया जाय।

(ख) पदावनत किये जाने पर आरक्षित श्रेणी के कार्मिक को पदावनत पद का ही वेतनमान अनुमन्य होगा। उक्त वर्णित संशोधित वरिष्ठता के अनुसार पदावनत किये गये आरक्षित श्रेणी के कार्मिक से आसन्न वरिष्ठ कर्मी को अनुमन्य मूल वेतन के बराबर पदावनत कर्मी का मूल वेतन निर्धारित किया जायेगा। पदावनती के ठीक पूर्व के माह में पदावनत कर्मी को प्राप्त हो रही परिलब्धियों (मूल, वेतन मंहगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते आदि) में पदावनती के उपरान्त कोई

-2/----

वित्तीय हानि न हो इसके लिये पदावनत किये गये कार्मिक की पदावनति के उपरान्त निर्धारित मूल वेतन के आधार पर प्राप्त होने वाली कुल परिलब्धियॉ तथा पदावनत के ठीक पूर्व के माह में प्राप्त होने वाली कुल परिलब्धियों में जो अन्तर होगा, वह पैत्रिक वेतन के रूप में पदावनत कार्मिक को अनुमन्य होगा। व्यैक्तिक वेतन आगे के वर्षो में उस सीमा तक कम होता जायेगा, जिस सीमा तक पदावनत कर्मी के मूल वेतन में वार्षिक वेतन वृद्धि के कारण मूल वेतन तथा वार्षिक वेतन वृद्धि तथा अन्य भत्तो सहित अधारित सकल वेतन में वृद्धि हो रही है। पदावनत कर्मी की पदावनती के ठीक पहले के माह के कुल मासिक परिलब्धियॉ तब तक की पदावनती कर्मी से आसन्न वरिष्ठ कर्मी की परिलब्धियॉ इसके बराबर या इससे अधिक न हो जाय।

(ग) आरक्षण का लाभ प्राप्त कर पदोन्नत कार्मिक पदावनती के पश्चात पदावनत पद के अनुरूप ही समस्त सुविधायें प्राप्त करेगें।

(घ) पदावनत कर्मी को प्राप्त हो रही परिलब्धियॉ (जिसमें व्यैक्तिक वेतन शामिल होगा) के आधार पर वरिष्ठता क्रम का कोई लाभ प्रदान नहीं होगा।

(च) अनारक्षित वर्ग (जिन्हे पदोन्नति में आरक्षण की सुविधा अनुमन्य नहीं थी) के पदधारकों द्वारा इस आधार पर अतिरिक्त परिलब्धियॉ अथवा व्यैक्तिक वेतन की मांग नहीं की जायेगी, की वे पदावनत कर्मी से संशोधित वरिष्ठता सूची के अनुसार वरिष्ठ हैं।

3- कार्मिक विभाग के शासनादेश संख्या-8/4/1/2002टीसी0-1-का-2/2015, दिनांक 21-08-2015 के प्राविधानों के अनुसार महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0 लखनऊ के पत्र संख्या-31/दन्त कक्ष/663, दिनांक 04-09-2015 द्वारा दन्त शल्यक संवर्ग के वर्तमान वरिष्ठता सूची के अनुसार दिनांक 15-11-1997 के पश्चात पदोन्नत में आरक्षण तथा नियम-8(क) का लाभ प्राप्त कर पदोन्नत कार्मिकों के संबंध में कार्मिक विभाग के उक्त शासनादेश दिनांक 21-08-2015 में वर्णित निर्देशों के क्रम में सूचना उपलब्ध करायी गई।

4- कार्मिक विभाग के शासनादेश संख्या-8/4/1/2002टीसी0-1-का-2/2015, दिनांक 21-08-2015 के अनुपालन में महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा उपलब्ध करायी गई सूचना पर सम्यक विचारोपरान्त मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 27-04-2012 के अनुपालन में पदोन्नत में आरक्षण तथा परिणामी ज्येष्ठता का लाभ प्राप्त कर दिनांक 28-04-2012 के पूर्व तथा दिनांक 15-11-1997 के बाद पदोन्नति में आरक्षण् तथा परिणामी ज्येष्ठता का लाभ प्राप्त कर दिनांक 28-04-2012 के पूर्व एवं दिनांक 15-11-1997 के बाद पदोन्नत दन्त शल्यक संवर्ग श्रेणी-1 के निम्न कार्मिकों को कार्मिक विभाग के उक्त शासनादेश दिनांक 21-08-2015 में दी गई व्यवस्थानुसार अपेक्षित पदावनत की कार्यवाही किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं, जिसके फलस्वरूप पदावनत कार्मिकों की संशोधित प्रास्थिति/पदावनत पदनाम निम्नवत होंगे-

-3/----

क्र0सं0	कार्मिक का नाम/वरिष्ठता क्रमांक	वर्तमान पदनाम एवं उस पर पदोन्नति की तिथि	पदावनत पद का नाम	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1	डा0 घनश्याम दास/25	वरिष्ठ दन्त शल्यक दिनांक 01-05-2003	दन्त शल्यक	वरिष्ठ दन्त शल्यक के पद से दिनांक 01-05-2003 से पदावनत।
2	डा0 शिवकुमार पुष्कर/38	वरिष्ठ दन्त शल्यक दिनांक 06-02-2004	दन्त शल्यक	वरिष्ठ दन्त शल्यक के पद से दिनांक 06-02-2004 से पदावनत।
3	डा0 नरसिंह प्रसाद/39	वरिष्ठ दन्त शल्यक दिनांक 04-03-2010	दन्त शल्यक	वरिष्ठ दन्त शल्यक के पद से दिनांक 04-03-2010 से पदावनत।

5- शासनादेश दिनांक 21-08-2015 के अनुक्रम में पदावनत कर्मियों को पदावनत पद पर कोई अतिरिक्त कार्यभार किसी भी दशा में नहीं दिया जायेगा।

6- उपरोक्त प्रस्तर-4 की सारणी में अंकित पदावनत कार्मिकों को सारणी के स्तम्भ-5 में वर्णित पदावनत/पद/प्रास्थिति की तिथि से वेतन निर्धारण आदि की कार्यवाही प्रस्तर-2 में वर्णित व्यवस्थानुसार की जायेगी।

अरविन्द नारायण मिश्र
सचिव।

संख्या-134/3483(1)/पांच-8-2015-तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार , इलाहाबाद उ0प्र0।
2- प्रमुख सचिव, कार्मिक विभाग, उ0प्र0 शासन।
3- सचिव, लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 इलाहाबाद।
4- महानिदेशक/निदेशक(प्रशासन), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, उ0प्र0, लखनऊ।
5- निदेशक(दन्त), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, उ0प्र0, लखनऊ।
6- वित्त नियन्त्रक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, उ0प्र0, लखनऊ।
7- संबंधित मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण।
8- संबंधित मुख्य चिकित्साधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक।

-4/---

9- संबंधित कोषाधिकारी।
10- संबंधित दन्त शल्यक द्वारा निदेशक(दन्त)।
11- प्रभारी कम्प्यूटर सेल को इस आशय से प्रेषित कि कृपया उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
12- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(शिवगोपाल सिंह)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in